दहेज मृत्यु खत्म करने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं

"आज की ज़रूरत है एक सामूहिक चेतना जगाने की, सहानुभूतिपूर्ण सोच और रवैया अपनाने की। अगर पुरुष लालच, घृणा, गुस्सा और स्वार्थ छोड़कर आपसी प्रेम और भाइचारे को अपनाएं तथा औरतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें तो दहेज प्रथा को खत्म किया जा सकता है।"

ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डा. ए.एस. आनंद के। डा. आनंद और श्री एन.पी. सिंह न्यायाधीशों ने दहेज मृत्यु संबंधी मामले में अपराधी को दो धाराओं के तहत हत्या और साजिश के लिए दोषी ठहराया।

डा. आनंद ने यह भी कहा कि "बुराई रोकने के लिए केवल कानून ही काफी नहीं है। महिलाओं को शिक्षित करने एवं कानूनी शिक्षा देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक जन आंदोलन ज़रूरी है। जहां अधिकांश महिलाएं अनपढ़ हैं अदालत की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।

"अदालत से अपेक्षा की जाती है कि बहुत तकनीकी नियमावली या गवाही की कमी में न जाकर एक संवेदनशील रवैया अपनाए। अगर अपराधी छूट जाएंगे तो अपराधों को और बढ़ावा मिलेगा।"

मामला इस प्रकार था—18 मई 1979 को कुंडला कोटी नागबनी का ब्याह आंध्र प्रदेश के एक गांव में हुआ। 23 अगस्त 1981 को उसके ऊपर रसोई में मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया गया।

• दहेज लेने और देने वाले दोनो, कानून की नजर में अपराधी हैं।

जब कुंडला का ब्याह हुआ था, उसके माता-पिता ने 50,000 रु. नकद, 50 सोने की गिन्नी और 2 एकड़ भूमि दहेज में देना स्वीकार किया था। नकदी रुपया और 15 सोने की गिन्नी तो ब्याह के समय दे दी गईं बाकी के लिए कुंडला को काफी तंग किया जा रहा था। बाद में जमीन का कब्जा भी कुंडला के पति को दे दिया गया था। उसका पंजीकरण उसके नाम होना बाकी था। 35 सोने की गिन्नियों का तकाजा भी बराबर किया जा रहा था। इस सब को लेकर कुंडला को बेहद प्रताड़ित किया गया और अंत में उसकी जान ले ली।

निचली अदालत में उसे आत्महत्या का मामला बता कर खारिज कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को गलत बताते हुए पति को कुंडला की मौत के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला सही ठहराया।

श्री बालकृष्ण (हिन्दुस्तान टाइम्स)